राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref. No.NB.DOR.GSS/5285/AM -4/2012-13 20 March 2013

Circular No. 61 / DoR.GSS 15 / 2013

The Chairman / Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All RRBs / SCARDBs / SCBs/
Scheduled Urban Co-op Banks

Dear Sir

Central Sector Scheme for Development/Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardization

Please refer to our circular No.180/ICD-39/2008 (letter No.NB.ICD/882/AMI-4/2008-09) dated 30 September 2008 advising the revision in the guidelines of the above scheme by GoI.

2.It was stipulated by DMI HO in terms of their letter F.No.11013//65/PR-Orissa/2007-MI(Part file) dated 29 July 2011 that project whose construction has started/units are installed before sanction of loan are not to be considered for subsidy under AMIGS scheme. Our Regional Offices have recalled/rejected subsidy claims which do not fulfill the above stipulation since the date of issue of our letter dated 9 August 2011 to our Regional Offices communicating DMI's letter dated 29 July 2011.

3. The issue has since been re-examined by DMI in view of the representations received in this regard. It has been clarified by DMI,HO vide their letters No.F.No.11013/65/PR-Orissa/2006-MI dated 28 January 2013 and F.No.M-11013/65/PR-Orissa/2006-MI dated 12 March 2013 that a project may be treated as eligible for subsidy under AMIGS scheme where the construction/ installation of the units have commenced after the date of application of the term loan to the financing bank by the applicant, provided that the project satisfies all other conditions of receiving subsidy under the scheme. The revised instruction of DMI, HO will be implemented with effect from 9 August 2011. Accordingly the claims rejected in view of DMI's letter dated 29 July 2011 shall be re-examined.

4. You may please circulate the above guidelines to all Controlling offices/branches.

Yours faithfully

(Padma Raghunathan)
General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org

NABARD 30 YEARS NATION BUILDING

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

सं.सं. रा. बैं. पुनर्वित्त विभाग /जीएसएस / 5285 /एएम - 4/ 2012-13 **20 मार्च 2013**
परिपत्र संख्या ....61......./ पुनर्वित्त विभाग /जीएसएस../5../2013

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी क्षेग्रा बैंक/रासकृग्रावि बैंक/रास बैंक
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं के विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना

कृपया दिनांक 30 सितंबर 2008 हमारे परिपत्र संख्या 180/आईसीडी-39/2008 (पत्र संख्या रा.बैं. आईसीडी /882/एएमआई-4/2008-09) का अवलोकन करें जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों के बारे में सूचित किया गया था.

2 डीएमआई, प्र. का. के दिनांक 29 जुलाई 2011 के पत्र संख्या एफ़ 11013/65/पीआर-ओडिशा/2007- एमआई (पार्ट फ़ाइल) के अनुसार निर्धारित किया गया था कि ऋण की मंजूरी के पहले जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है/इकाई स्थापित हो चुकी है उन पर एएमआईजीएस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए विचार नहीं किया जाएगा. दिनांक 29 जुलाई 2011 के डीएमआई के पत्र के बारे में हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 09 अगस्त 2011 को जारी किए गए हमारे पत्र की तारीख से हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने उक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले सब्सिडी के दावे वापस लिए हैं/ अस्वीकृत किए हैं.

3 इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए डीएमआई द्वारा इस मामले की पुनः जांच की गई. दिनांक 28 जनवरी 2013 के डीएमआई, प्र का के पत्र संख्या एफ़.एनओ. 11013/65/पीआर-ओडिशा/2006-एमआई और 12 मार्च 2013 के पत्र संख्या एफ़.एनओ. एम - 11013/65/पीआर-ओडिशा/2006-एमआई के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा वित्तपोषक बैंक को मीयादी ऋण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की तिथि के बाद निर्माण कार्य शुरू करने /इकाई स्थापित करने वाली परियोजनाओं पर एएमआईजीएस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए विचार किया जाए बशर्ते परियोजना में उक्त योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सभी अन्य शर्तें पूरी की जा रही हो. डीएमआई, प्र का के संशोधित अनुदेश 09 अगस्त 2011 से लागू किए जाएंगे. तदनुसार, दिनांक 29 जुलाई 2011 के डीएमआई के पत्र के मद्देनजर अस्वीकृत किए गए मामलों की पुनः जांच की जाएगी.

4. कृपया सभी नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को उक्त दिशानिर्देश परिचालित करें.

भवदीय

पद्मा रघुनाथन

(पद्मा रघुनाथन)
महाप्रबंधक